

एसईसी-1/187(2)/2026/2912

दिनांक: 10 जुलाई, 2026

लिस्टिंग विभाग नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड एक्सचेंज प्लाजा, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051	कॉर्पोरेट संबंध विभाग बीएसई लिमिटेड पहली मंजिल, फिरोज जीजीभोय टॉवर्स दलाल स्ट्रीट, फोर्ट, मुंबई - 400 001
स्क्रिप कोड-RECLTD	स्क्रिप कोड-532955
Listing Department National Stock Exchange of India Limited Exchange Plaza, Bandra kurla Complex, Bandra (East), Mumbai-400 051.	Corporate Relationship Department BSE Limited 1 st Floor, Phiroze Jeejeebhoy Towers Dalal Street, Fort, Mumbai - 400 001.
Scrip Code-RECLTD	Scrip Code-532955

विषय: सहायक कंपनी के निगमन की सूचना।

महोदय/ महोदया,

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 की अनुसूची III के साथ पठित विनियम 30 के अनुसरण में, एतद्वारा यह सूचित किया जाता है कि नवादा दुर्गापुर पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड (सीआईएन: U42202DL2026GOI468300) को आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड ("आरईसीपीडीसीएल"-आरईसी लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में निगमित किया गया है कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(87) के प्रावधानों के अनुसार, उक्त कंपनी आरईसी लिमिटेड की सहायक कंपनी भी है। अन्य आवश्यक विवरण इसके साथ **अनुलग्नक-1** के रूप में संलग्न हैं।

यह आपकी जानकारी के लिए है।

धन्यवाद,

भवदीय,
आरईसी लिमिटेड के लिए

(दिनेश गर्ग)
कंपनी सचिव और
अनुपालन अधिकारी

संलग्न: उपरोक्त के अनुसार

क्षेत्रीय कार्यालय : बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चेन्नई, देहरादून, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कोलकाता
लखनऊ, मुंबई, पंचकूला, पटना, रायपुर, रांची, शिलांग, शिमला, तिरुवनंतपुरम और विजयवाड़ा
राज्य कार्यालय : वडोदरा, वाराणसी
प्रशिक्षण केंद्र : आरईसी इंस्टीट्यूट ऑफ पावर मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग (आरईसीआईपीएमटी), हैदराबाद

नवादा दुर्गापुर पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड" नामक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी का निगमन

क्रमांक संख्या	विवरण	ब्यौरा
1.	लक्षित इकाई का नाम, आकार, टर्नओवर आदि जैसे संक्षिप्त विवरण।	नाम: नवादा दुर्गापुर पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड अधिकृत पूंजी: ₹5,00,000/- प्रदत्त पूंजी: ₹5,00,000/- (टर्नओवर): लागू नहीं (यह एक नव-निगमित कंपनी है और इसने अभी अपना व्यवसाय शुरू नहीं किया है)। विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक 24 मार्च, 2026 की राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से एक अंतर-राज्यीय पारेषण परियोजना आवंटित की थी, जिसमें आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसलटेंसी लिमिटेड (आरईसीपीडीसीएल) को "ईआरईएस-47: नवादा दुर्गापुर जीरत (न्यू) 765 केवी कॉरिडोर" के उद्देश्य हेतु बोली प्रक्रिया समन्वयक (बीपीसी) के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया है। उपर्युक्त के आलोक में, 10 जुलाई, 2026 को "नवादा दुर्गापुर पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड" का निगमन किया गया है। टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली (टीबीसीबी) दिशानिर्देशों के अनुसार सफल बोलीदाता के चयन के पश्चात, उक्त कंपनी को सभी परिसंपत्तियों और देनदारियों सहित सफल बोलीदाता को स्थानांतरित कर दिया जाएगा।
	क्या यह अधिग्रहण संबंधित पक्षकार संव्यवहारों के अंतर्गत आएगा और क्या प्रवर्तक/प्रवर्तक समूह/समूह कंपनियों का अधिग्रहित की जा रही इकाई में कोई हित निहित है? यदि हाँ, तो हित की प्रकृति और उसका विवरण क्या है तथा क्या यह संव्यवहार "अर्म्स लेंथ" किया गया है?	नवादा दुर्गापुर पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड, आरईसीपीडीसीएल की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, इसलिए यह आरईसी लिमिटेड का एक संबंधित पक्षकार है। प्रवर्तक (प्रमोटर), प्रवर्तक समूह/समूह कंपनियों का नवादा दुर्गापुर पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड में अपनी शेयरधारिता की सीमा के अतिरिक्त कोई अन्य हित निहित नहीं है।
3.	वह उद्योग जिससे अधिग्रहित की जा रही इकाई संबंधित है	विद्युत क्षेत्र।
4.	अधिग्रहण के उद्देश्य और प्रभाव (जिसके अंतर्गत लक्षित इकाई के अधिग्रहण के कारणों का प्रकटीकरण शामिल है, किंतु यह इसी तक सीमित नहीं है, यदि उसका व्यवसाय सूचीबद्ध इकाई के मुख्य व्यवसाय क्षेत्र से बाहर है)	कंपनी को ईआरईएस -47: नवादा - दुर्गापुर - जीरत (नया) 765 केवी कॉरिडोर के लिए शामिल किया गया है।

5.	अधिग्रहण के लिए आवश्यक किसी भी सरकारी या नियामक अनुमोदनों/स्वीकृतियों का संक्षिप्त विवरण	भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 24 मार्च, 2026 की राजपत्र अधिसूचना के अनुसरण में निगमित, जिसके अंतर्गत आरईसीपीडीसीएल को (बीपीसी - बोली प्रक्रिया समन्वयक) के रूप में नामित किया गया है।
6.	अधिग्रहण को पूरा करने की सांकेतिक समयावधि	लागू नहीं।
7.	प्रतिफल की प्रकृति (नकद प्रतिफल अथवा शेयरों की अदला-बदली/शेयर स्वेप) और उसका विवरण	इक्विटी शेयर पूंजी का नकद में 100% अभिदान।
8.	अधिग्रहण की लागत अथवा वह मूल्य जिस पर शेयरों का अधिग्रहण किया गया है	अंकित मूल्य पर इक्विटी शेयरों की 100% अभिदान।
9.	अधिग्रहीत शेयरधारिता/नियंत्रण का प्रतिशत और/या अधिग्रहीत शेयरों की संख्या	100%
10.	अधिग्रहित की गई इकाई के उत्पादों/व्यवसाय क्षेत्र, निगमन की तिथि, पिछले 3 वर्षों के टर्नओवर के इतिहास, उन देशों जिनमें अधिग्रहित इकाई की उपस्थिति है, के संदर्भ में उसका संक्षिप्त विवरण तथा कोई अन्य महत्वपूर्ण जानकारी (संक्षेप में)।	आरईसीपीडीसीएल समय-समय पर विद्युत मंत्रालय और राज्य सरकारों द्वारा सौंपे गए स्वतंत्र अंतर-राज्यीय और अंतर-राज्यीय ट्रांसमिशन परियोजना के लिए टीबीसीबी प्रक्रिया के माध्यम से ट्रांसमिशन सेवा प्रदाता के चयन के लिए "बीपीसी" के रूप में कार्य करता है।